**प्रार्थना पत्र / एलआर/2798/ 2004/ जिला बीकानेर**
**मु0 रसीदा बनाम बदरीलाल वगैरह**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.8.2025 | **एकल–पीठ**<br>**श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य**<br><br>**उपस्थित :**<br>श्री जे.के.पंत, अधिवक्ता प्रार्थी ।<br>अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित<br><br>**निर्णय**<br><br>1– हस्तगत् प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–9 के अंतर्गत तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 6–2–97 के विरूद्ध प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 677 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.6 व 7 के पिता को दिनांक 24–9–69 को आवंटित हुई थी। तब से मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.6 व 7 काबिजकाश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी तहसीलदार ने अप्रार्थीगण के नाम भूमि को दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के एवं बिना प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विवादित भूमि अप्रार्थी के खाते में दर्ज करने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया, जबकि तहसीलदार को विवादित आराजी की खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 6–2–97 को निरस्त किया जावे।<br><br>2– अप्रार्थी सं.6 व 7 तरतीबी पक्षकार होने से उनके नोटिस एवं तलबी की आवश्यकता नहीं होने से उनकी तलबी बंद की जाती है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।<br><br>3– अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 6–2–97 के विरूद्ध हस्तगत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तहसीलदार बीकानेर ने उक्त आदेश से खसरा नंबर 677 रकबा 16 बीधा 14 बिसवा, खसरा नंबर 678 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 679 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी सं.1 से 4 के पक्ष में दर्ज करने के आदेश दिये है। तहसीलदार की पत्रावली में पेश समस्त दस्तावेज फोटो प्रतियां है, प्रमाणित प्रतियां नहीं है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 677, 678 व 679 गत खसरा नंबर 159 से बने है। खसरा नंबर 159 पर प्रार्थी गैर खातेदार रहा, इस बाबत् कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|
| | तहसीलदार की पत्रावली में सलंग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 677, 678 व 679 गत खसरा नंबर 159 मिन से बने है। प्रार्थीया के पिता को खसरा नंबर 677 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा दिनांक 24–9–69 को आवंटित होना प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है। खसरा गिरदावरियां न तो वर्तमान खसरा नंबर 677, 678 व 679 की है, न गत खसरा नंबर 159 मिन की। किसी भी खसरे का रकबा मिलान नहीं होता है। पटवारी हल्का चकगर्वी की मौका रिपोर्ट किस आदेश से तैयार की गई, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट में दिनांक भी अंकित नहीं की गई है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट सरसरी व अस्पष्ट है। पत्रावली के साथ संलग्न खसरा गिरदावरियों की फोटो प्रतियों में खसरा संख्या 677, 678 व 679 पर अप्रार्थीगण का लगातार कब्जा काश्त रहा, यह प्रमाणित नहीं होता है। अप्रार्थीगण खसरा संख्या 677, 678 व 679 के वर्तमान रकबे के गैर खातेदार होना भी पत्रावली के साथ संलग्न रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। उपनिवेशन विभाग के नये खसरा संख्या 677 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 678 रकबा 3 बीघा 131 बिस्वा व खसरा संख्या 679 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा बनाये, इसका भी कोई प्रमाणित रिकार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं है। संवत 2024 के पश्चात विवादित आराजी सरकारी खाते में रकबा राज दर्ज रही है। अप्रार्थीगण न तो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है और न ही आंवटी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी की खातेदारी देने का तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण घोषणा का वाद प्रस्तुत कर ही कोई अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 6–2–97 क्षेत्राधिकारविहीन, अविधिक व प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तथ्यों की विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा उनके पिता को खसरा नंबर 677 के आवंटन होने के सम्बंध में कोई तथ्य/प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह माना जा सके कि खसरा नंबर 677 का आवंटन उनके पिता को हुआ हो। ऐसी स्थिति में हस्तगत् निर्णय से प्रार्थीया कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर बीकानेर का आवश्यक कार्यवाहीं हेतु भेजी जावे।<br>4– उक्तानुसार हस्तगत् प्रकरण निर्णित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**(मदनलाल नेहरा)**<br>**सदस्य** | |